न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी बाप, फलोदी

पीठासीन अधिकारी :– सुखाराम पिण्डेल (आर.ए.एस.)

राजस्व प्रकरण संख्या :– 100/2024 **जी.सी.एम.एस. नम्बर :– 2024/310**
दायर दिनांक :– 20.06.2024 **निर्णय दिनांक :– 20.02.2025**

1. अर्जुनराम पुत्र नारायणराम जाति विश्नोई निवासी अनोपनगर तहसील बाप जिला फलोदी
2. गोमती पत्नी नारायणराम जाति विश्नोई निवासी अनोपनगर तहसील बाप जिला फलोदी
3. सोमराज पुत्र नारायणराम जाति विश्नोई निवासी अनोपनगर तहसील बाप जिला फलोदी
4. भजनाराम पुत्र नारायणराम फौत के कायम मुकाम

4/1 सुरेन्द्र पुत्र भजनाराम जाति विश्नोई निवासी अनोपनगर तहसील बाप जिला फलोदी
4/2 राधा पत्नी भजनाराम जाति विश्नोई निवासी अनोपनगर तहसील बाप जिला फलोदी
4/3 रविन्द्र पुत्र भजनाराम जाति विश्नोई निवासी अनोपनगर तहसील बाप जिला फलोदी नाबालिग जरिये कुदरती वलीया माता राधा पत्नी भजनाराम

5. सोहनराम पुत्र कानूराम फौत के कायम मुकाम

5/1 महीपाल पुत्र सोहनराम जाति विश्नोई निवासी पल्ली तहसील लोहावट जिला फलोदी
5/2 तीजा पत्नी सोहनराम जाति विश्नोई निवासी पल्ली तहसील लोहावट जिला फलोदी
5/3 शारदा पत्नी भजनाराम जाति विश्नोई निवासी पल्ली तहसील लोहावट जिला फलोदी
5/4 रविन्द्र पुत्र भजनाराम जाति विश्नोई निवासी पल्ली तहसील लोहावट जिला फलोदी

6. रूकमणी पत्नी देवीलाल जाति विश्नोई नि. मूलराज लोहावट तह. लोहावट जिला फलोदी
7. भगवानाराम पुत्र हरीकिशन जाति विश्नोई निवासी लक्ष्मीपुरा फलोदी तह. व जिला फलोदी

–प्रार्थी

बनाम

1. बगडूराम पुत्र हरचन्दराम फौत के कायम मुकाम

1/1 शैतानाराम पुत्र बगडूराम जाति विश्नोई निवासी राणेरी तहसील बाप जिला फलोदी
1/2 बंशीराम पुत्र बगडूराम जाति विश्नोई निवासी राणेरी तहसील बाप जिला फलोदी
1/3 सुवटी पत्नी बगडूराम जाति विश्नोई निवासी राणेरी तहसील बाप जिला फलोदी

2. रामरख पुत्र भेराराम जाति विश्नोई निवासी दिपनगर तहसील बाप जिला फलोदी
3. सुगणी पत्नी मानाराम जाति विश्नोई निवासी पल्ली तहसील लोहावट जिला फलोदी
4. सुप्यार पत्नी भागीरथ जाति गुर्जर निवासी फलोदी तहसील व जिला फलोदी
5. बाधू पत्नी गोरधनराम जाति विश्नोई निवासी फूलासर तहसील बज्जू जिला बीकानेर
6. संगीता पत्नी बंशीराम जाति विश्नोई निवासी झड़ासर तहसील बाप जिला फलोदी
7. धीमाराम पुत्र रूगनाथ जाति विश्नोई निवासी झड़ासर तहसील बाप जिला फलोदी
8. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार बाप तहसील बाप जिला फलोदी

–अप्रार्थीगण

20/2/25
सहायक कलक्टर
बाप (फलोदी)

राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम

उपस्थित :–1. श्री ओमप्रकाश गोदारा अधिवक्ता प्रार्थी
2. पैरोकार सरकार तहसीलदार बाप

–:: निर्णय ::–

प्रार्थीगण ने राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111,128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 का इस आशय से पेश किया है कि प्रार्थीगण की खातेदारी अधिकारों भूमि खेत खसरा नम्बर 193/13 रकबा 19.4653 हैक्टेयर ग्राम दीपनगर पटवार हल्का शेखासर तहसील बाप जिला फलोदी (राज.) की सरहद में स्थित है। जमाबन्दी व राजस्व भू–नक्शा की वर्तमान प्रतिलिपि संलग्न प्रार्थना पत्र पेश है। उक्त खसरा के पैमाईश आवेदन पर तहसीलदार बाप द्वारा दिनांक 22.03.2024 को जारी आदेश कमांक संख्या 62 की पालना में दिनांक 09.04.2024 को हल्का पटवारी द्वारा मौके पर पहुंच कर मुस्तकिल बिन्दु से पैमाईश कर मौका पर ही फर्द पैमाईश तैयार कर मौतबीरान के रूबरू प्रार्थीगण तथा पड़ौसी खातेदारान को सीमा ज्ञान करवाया गया तथा सीमा चिह्न कायम किये गये। दिनांक 09.04.2024 को हल्का पटवारी द्वारा प्रार्थीगण के उक्त खसरे की पैमाईश कर कायम किये गये सीमा चिन्हो (फर्द नजरी नक्शा) के अनुसार प्रार्थीगण द्वारा वर्षा ऋतु के मध्यनजर अपने उक्त खसरे की सीमाओं पर फसल, घास, पाला आदि की सुरक्षा के लिए पत्थर की पट्टियां रोपकर बाड़, तारबन्दी इत्यादि करना शुरू करने पर अप्रार्थीगण सं. 1 ता 7 द्वारा व्यवधान पैदाकर प्रार्थी को तारबंदी नहीं करने दे रहे है। प्रार्थी की उक्त भूमि की बाड़, तारबंदी नहीं हो पाने से प्रार्थीगण अपनी फसल, घास, पाला इत्यादि की सुरक्षा पत्थर की पट्टिया रोपकर तारबंदी, जाली नहीं कर पाने से प्रार्थीगण को अत्यधिक आर्थिक नुकसान हो रहा है। प्रार्थी अपनी उक्त भूमि की मौका फर्द दिनांक 09.04.2024 के माफिक सीमा पर पत्थरगढी करवाने का कानूनन अधिकारी है, जिसका यह प्रार्थना पत्र पत्थरगढी करवाने का पेश है।

प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर सिगेदार की रिपोर्ट ली गयी ओर प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये रजिस्टर्ड डाक के नोटिस से तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 8 पैरोकार सरकार तहसीलदार बाप ने जवाब पेश किया जो शामिल पत्रावली किया गया। अप्रार्थी संख्या 1 ता 7 की और से कोई उपस्थित नहीं आये लिहाजा एक पक्षीय कार्यवाही की गई। पत्रावली बहस में रखी गई।

अधिवक्ता प्रार्थीगण ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए बताया कि प्रार्थी की खातेदारी भूमि ग्राम दीपनगर पटवार हल्का शेखासर तहसील बाप में खेत खसरा नम्बर 193/13 रकबा 19.4653 हैक्टेयर स्थित है। उक्त भूमि पर प्रार्थीगण का अपने अपने हिस्से पर कब्जा व काश्त आज दिन तक लगातार शांतिपूर्वक चला आ रहा है उक्त भूमि के चारों ओर तारबंदी नहीं होने की वजह से प्रार्थीगण द्वारा की जा रही काश्त को आवारा पशुओं द्वारा नष्ट किया जा रहा है जिससे प्रार्थीगण को अपूरणीय क्षति हो रही है। इसलिये उक्त भूमि पैमाईश फर्द दिनांक 09.04.2024 अनुसार अपनी हद में पत्थरगढी किये जाने के आदेश फरमावे।

सहायक कलेक्टर
बाप (फलोदी)

अधिवक्ता प्रार्थीगण की बहस सुनी गई बहस पर मनन किया गया तथा उपलब्ध दस्तावेजीय साक्ष्य का अवलोकन किया गया। प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत जमाबन्दी, नक्सा ट्रेस एवं मौका फर्द का अवलोकन किया गया। प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि ग्राम दीपनगर पटवार हल्का शेखासर तहसील बाप में खेत खसरा नम्बर 193/13 रकबा 19.4653 हैक्टेयर स्थित है। प्रार्थीगण वादग्रस्त भूमि का खातेदार है रेकर्डेड खातेदार को अपनी खातेदारी भूमि की पत्थर गढी करवाने का पूर्ण अधिकार है। इसलिए प्रार्थीगण पैमाईश फर्द दिनांक 09.04.2024 अनुसार पत्थरगढी करवाने के हकदार है। प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र दस्तावेजात से साबित होने के कारण स्वीकार किया जाना उचित समझते है।

आदेश

प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण स्वीकार किया जाता है कि ग्राम दीपनगर पटवार हल्का शेखासर तहसील बाप में खेत खसरा नम्बर 193/13 रकबा 19.4653 हैक्टेयर भूमि की पत्थर गड्ढी मौका फर्द दिनांक 09.04.2024 अनुसार पड़ोसी खातेदारों को सूचित करते हुवे किये जाने के आदेश दिये जाते है। प्रार्थीगण द्वारा नियमानुसार शुल्क अदा किये जाने पर तहसीलदार बाप उक्त आदेश की पालना में विधिवत पत्थर गडढी करवावे। अगर आवश्यकता हो तो शान्ति व्यवस्था बनाये रखने हेतु पुलिस इमदाद प्राप्त की जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर, दर्ज नम्बर से कम हो, बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 20.02.2025 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सहायक कलक्टर बाप, जिला फलोदी (राज.)

(सुखाराम पिण्डेल, R.A.S.)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
बाप (फलोदी)